निर्णय न्यायालय श्री हिमांशु शर्मा आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अधिकथित

प्रकरण सं. 16/21 अपील
दायरा दिनांक :- 29.12.21
निर्णय दिनांक :- 28.7.22

उनवान

राजेन्द्र कुमार पुत्र मगनलाल जाति जाटव निवासी कन्डोरा वार्ड बारां हाल निवासी मकान नं. 105 लालबाई चौक शिवाजी नगर बारां तह. बारां

बनाम

1. ओमप्रकाश उर्फ तेजप्रकाश पुत्र मगन दत्तक पुत्र छगनलाल
2. दिलीप पुत्र मगन दत्तक पुत्र छगन लाल जाति जाटव निवासी लालबाई चौक शिवाजी नगर बारां तह. बारां
3. ग्राम पंचायत फतेहपुर तह. बारां
4. राज. सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

अपील नामा. संख्या 1259 ग्राम फतेहपुर
निर्णय दिनांक :- 28.7.22

अभिभाषक उपस्थित :- 1 श्री हेमराज बैरवा - अपीलान्ट
2 श्री तेजकुमार मीणा - रेस्पो.

अभिभाषक अपीलान्ट-2 द्वारा अपील इन्तकाल नं. 1259 ग्राम फतेहपुर दिनांक 5-2-2009 विरुद्ध रेस्पो. के न्याया. के इस आशय की पेश की गई आराजीयात वर्तमान खाता नं. 391 के वाकिन ख.नं. 1440 रकबा 0.06 हे. ख.नं. 545 रकबा 0.03 हे. ख.नं. 547 रकबा 2.90 हे. ख.नं. 909 रकबा 0.34 हे., ख.नं. 910 रकबा 0.03 हे., ख.नं. 911 रकबा 0.04 हे. ख.नं. 963 रकबा 0.29 हे. कुल किता 7 रकबा 3.69 हे. वाके ग्राम फतेहपुर तह. बारां में स्थित [illegible] प्रकार आराजीयात वर्तमान खाता नं. 398 के वाकिन [illegible] रकबा 0.43 हे. ख.नं. 954 रकबा 0.90 [illegible] रकबा 1.67 हे. वाके ग्राम फतेहपुर तह. ख.नं. 955 रकबा [illegible] [illegible] में दर्ज हो तह. बारां में स्थित है जो अपीलान्ट-2 [illegible] शामलाती राजस्व [illegible] लगातार :- 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:39:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

खातेदार गंगाबाई पत्नी मगन लाल के तीन पुत्र ओमप्रकाश उर्फ तेजप्रकाश, राजेन्द्र कुमार, दिलीप थे जिनमें से ओमप्रकाश उर्फ तेजप्रकाश व दिलीप श्री छगनलाल के गोद चले गये इसलिए गंगाबाई का एक मात्र वारिस अपीलान्ट ही है परन्तु अपीलान्ट की माता-खातेदार गंगा बाई की मृत्यु उपरान्त इन्तकाल नं. 1259 खोलते समय तीनों भाईयों का नाम वारिसान के रूप में राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज कर दिया गया जबकि मृतका गंगाबाई का एक मात्र वारिस राजेन्द्र कुमार अपीलान्ट था। अपीलान्ट की माता गंगाबाई की मृत्यु उपरान्त इन्तकाल खोलते समय वारिसान की सही प्रकार से जांच नहीं कर उक्त इन्तकाल तस्दीक किया गया है जो गलत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्याया. द्वारा खोला गया इन्तकाल पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है क्योंकि इन्तकाल खोलते समय पटवारी हल्का द्वारा मृतका गंगाबाई के वारिसान व अपीलान्ट के नाम के बारे में सही प्रकार से पूछताछ व जांच नहीं करके अपीलान्ट का नाम राजेन्द्र कुमार के स्थान पर राजू गलत दर्ज कर दिया गया है जो गलत है जबकि अपीलान्ट के पहचान पत्र आधार कार्ड में अपीलान्ट का नाम राजेन्द्र कुमार दर्ज है। ~~अर्थ~~ अधीनस्थ न्याया. ग्राम पंचायत फतेहपुर द्वारा खोला गया इन्तकाल नं. 1259 दिनांक 5.2.2009 को निरस्त किया जाकर आराजी वर्तमान खाता 397 में वर्णित ख.नं. 1440 रकबा 0.06 हे. ख.नं. 545 रकबा 0.03 हे., ख.नं. 547 रकबा 2.90 हे. ख.नं. 909 रकबा 0.34 हे. ख.नं. 910 रकबा 0.03 हे. ख.नं. 911 रकबा 0.04 हे. ख.नं. 963 रकबा 0.29 हे. कुल 7 किता रकबा 3.69 हे. वाके ग्राम फतेहपुर तह. बारां एवं आराजीयात वर्तमान खाता 398 में वर्णित ख.नं. 949 रकबा 0.43 हे., ख.नं. 954 रकबा 0.90 हे. ख.नं. 955 रकबा 0.34 हे. कुल 3 किता रकबा 1.67 हे. वाके ग्राम फतेहपुर तह. बारां के राजस्व रिकार्ड एवं जमाबन्दी में रेस्पो. क्रमांक 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड से डिलीट किया जाकर अपीलान्ट का नाम राजू के स्थान पर राजेन्द्र कुमार दर्ज किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा। अपीलान्ट द्वारा उक्त इन्तकाल सं. 1259 की नकल प्राप्त करके व नकल को देखने पर अपी-अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में [illegible] दर्ज होने की जानकारी दिनांक 27.12.21 को हुई। इसलिए [illegible] दिनांक 5.02.2009 से जानकारी दिनांक 27.12.21 तक का समय [illegible] अवधि में से हुजरा किये जाने

लगातार-3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:39:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

पर अपील अवधि समक्ष पेश है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. को नोटिस तामील तलब किया गया। रेस्पो. की ओर से श्री तेजकुमार मीना का वकालतनामा पेश हुआ। अपीलार्थी द्वारा अपील पक्ष के समर्थन में नकल नामा. नं. 1259 दिनांक 5.2.19 नकल जमाबंदी ग्राम मलेटपुर संवत 2072-75 खाता नं. 397, नकल जमाबंदी ग्राम मलेटपुर संवत 2072-75 खाता नं. 398, फोटो प्रति पेन कार्ड राजेन्द्र कुमार, फोटो प्रति आधार कार्ड, फोटो प्रति फोटो पहचान पत्र, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड पेश की गयी।

बहस अभिभाषक जान पक्षकारान सुनी गयी बहस के दौरान वकील अपीलार्थी द्वारा अपील के अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील अपीलार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मलेटपुर तह० बारां में स्थित है जो अपीलार्थी के खातेदारी के दर्ज है। खातेदार गंगाबाई पत्नी मगनलाल के तीन पुत्र थे जिनमें से ओमप्रकाश उर्फ तेजप्रकाश, व दिलीप, श्री छगनलाल के गोद चले गये। गंगाबाई के एक मात्र वारिस अपीलार्थी है परन्तु खातेदार गंगाबाई की मृत्यु के बाद मोती नामा. तीनों बेटे के नाम मोती नामा. खोल दिया गया। जबकि एक मात्र वारिस अपीलार्थी था सही जांच नहीं करने के कारण गलत नामा. दर्ज कर दिया गया है रेस्पो. क्र. 1 व 2 को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है रेस्पो. द्वारा इकबाली जवाब पेश किया है अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अपीलार्थी के नाम पुनः नामा. दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक अपीलार्थी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल नामा. नं. 1259 दिनांक 5-2-09 के अनुसार मृतक गंगाबाई व मृतक छीतरलाल का मोती नामा. खोला जिसमें गंगाबाई के वारिस ओमप्रकाश, राजू व श्री दिलीप खोल दिये हुये है नकल जमाबंदी ग्राम मलेटपुर संवत 2072-75 खाता नं. 397 के अनुसार ओमप्रकाश, राजू, दिलीप का हिस्सा 3/4 3/4 [illegible] दर्ज होना पाया जाता है फोटो प्रति पेन कार्ड, आधार कार्ड व० [illegible] के पिता का नाम मगनलाल दर्ज है ओमप्रकाश व दिलीप [illegible] नाम छगनलाल दर्ज है रेस्पो. की ओर से इकबाली जवाब पेश कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:39:23 IST
Reason: SelfAttested

करने का निर्देश किया है अपीलार्थी द्वारा रेस्पो. क्र. 1 व 2 को छगनलाल के गोद जाना बताया है प्रस्तुत रिकार्ड एवं दस्तावेजात से यह जाहिर होता है कि रेस्पो. क्र. 1 व 2 छगनलाल के गोद गये थे। गंगा के मरने के बाद मात्र राजेन्द्र अपीलार्थी का ही उनकी जायदाद में का अधिकार था। रेस्पो. का कोई अधिकार नहीं था परन्तु गंगा बाई का मरना मानते हुए अपीलार्थी व रेस्पो. क्र. 1 व 2 के नाम नामान्तरण खोल कर तस्दीक किया गया है जो गलत है अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार कर नामा. सं. 1259 खारिज किया जाना न्यायोचित है

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है नामा. सं. 1259 दिनांक 5-2-2009 खारिज किया जाता है तहसीलदार बारां को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि स्व. गंगा के वारिसान की जांच कर एवं गोद गये पुत्रों को छोड़ कर नामान्तरण खोला जाकर तस्दीक करने के आदेश दिये जावेंगे।

निर्णय हस्ताक्षरित किया जाकर ~~तस्दीक~~ कर इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:39:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner